समाहरणालय, मधेपुरा।
(आपदा प्रबंधन शाखा)
:- आदेश :-

प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 07 (आवंटन)/कृ0, दिनांक 27-04-2015 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत -उपमुख्य शीर्ष 02- बाढ़ चकवात आदि के लघु शीर्ष-114- कृषि लागतों के कय के लिए किसानों को सहायता उपशीर्ष -0001 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड एन0- 224502114000 1 मद में मो0- 9,15,15,000/- **(नौ करोड़ पंद्रह लाख पंद्रह हजार)** रू0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन में से पूर्व में मो0 7,75,00,000/- **(सात करोड़ पचहत्तर लाख)** रू0 मात्र को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों मधेपुरा जिला को इस कार्यालय के पत्रांक 125 दिनांक 27-04-2015 द्वारा उपावंटित किया गया है। शेष बचे मो0 1,40,15,000/- (एक करोड़ चालीस लाख पन्द्रह हजार) रूपये मात्र को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार उपावंटित किया जाता है :-

क0स0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व में उपावंटन की राशि	वर्त्तमान में उपावंटन की राशि	कुल उपावंटित राशि
1	प्रखंड विकास पदा0,मधेपुरा	75,00,000.00	20,00,000.00	95,00,000.00
2	प्रखंड विकास पदा0,घैलाढ़	50,00,000.00	20,00,000.00	70,00,000.00
3	प्रखंड विकास पदा0, सिंहेंश्वर	50,00,000.00	0.00	50,00,000.00
4	प्रखंड विकास पदा0, गम्हरिया	50,00,000.00	0.00	50,00,000.00
5	प्रखंड विकास पदा0, शंकरपुर	50,00,000.00	0.00	50,00,000.00
6	प्रखंड विकास पदा0, मुरलीगंज	1,00,00,000.00	20,15,000.00	1,20,15,000.00
7	प्रखंड विकास पदा0, कुमारखंड	50,00,000.00	20,00,000.00	70,00,000.00
8	प्रखंड विकास पदा0, उदाकिशुनगंज	50,00,000.00	20,00,000.00	70,00,000.00
9	प्रखंड विकास पदा0, ग्वालपाड़ा	50,00,000.00	20,00,000.00	70,00,000.00
10	प्रखंड विकास पदा0, बिहारीगंज	75,00,000.00	0.00	75,00,000.00
11	प्रखंड विकास पदा0, चौसा	75,00,000.00	0.00	75,00,000.00
12	प्रखंड विकास पदा0, पुरैनी	50,00,000.00	0.00	50,00,000.00
13	प्रखंड विकास पदा0, आलमनगर	50,00,000.00	20,00,000.00	70,00,000.00
	कुल योग :-	**7,75,00,000.00**	**1,40,15,000.00**	**9,15,15,000.00**

(मो0 1,40,15,000/- (एक करोड़ चालीस लाख पन्द्रह हजार) रू0 मात्र)

उपावंटन की शर्तें :-

1. उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किए गए विपत्र /विपत्रां के उपर बड़े अक्षरों में लाल सियाही से "8000-आकस्मिकता निधि" अंकित किया जाए।
2. इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य बजट शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत -उपमुख्य शीर्ष 02- बाढ़ चकवात आदि के लघु शीर्ष-114- कृषि लागतों के कय के लिए किसानों को सहायता उपशीर्ष -0001 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड एन0 - 224502114000 1 मांग संख्या -39 युनिट कोड 31 06 सहायक अनुदान -वेतनादि के अलावा मद में विधान मंडल से पारित बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम ,2015 द्वारा उपबंधित राशि एवं राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।
3. विभागीय कार्यालयदेश संख्या-1993, दिनांक 27-04-2015 एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-01/प्रा0आ0-0-3-23 /15-03 (सा0अनु0) /आ0प्र0 दिनांक 22-04-2015 एवं 14 (सा0अनु0) /आ0 प्र0 दिनांक 26-04-2015 में उल्लेखित शर्तो एवं निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाए। जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी (प्रति संलग्न)।

4. यह आवंटन मार्च /अप्रैल, 2015 में ओलावृष्टि से हुई क्षतिग्रस्त फसलों के लिए एस0डी0आर0एफ0 के मानदर के अनुरूप किसानों को देय कृषि इनपुट अनुदान हेतु निर्गत किया जा रहा है। प्रभावित कृषकों को आपदा प्रबंधन विभागीय पत्रांक-1388/आ0प्र0 दिनांक 24-07-2004 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा गठित अनुश्रवण समिति-सह-निगरानी समिति की देख-रेख में आर0टी0जी0एस0 /चेक (एकाउन्टपेयी) के माध्यम से राशि का भुगतान कराया जाए तथा लाभुकों की सूची जिला के वबेसाइट पर प्रकाशित की जाए।
5. व्यय के तुरंत बाद टी0भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाए।
6. उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
7. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
8. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह को दूसरी तारीख तक निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करें।
9. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15-03-2016 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
10. उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully vouched bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय अग्रीम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार भेजते हुए उसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक : 205 आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक : 7.5.15/

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेंतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला कृषि पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित। ।
प्रतिलिपि :- DIO, मधेपुरा को जिले के Website पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

07/05/15

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।